SHODHBODHALAYA(शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 1, Issue 3, April-June 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

दल बदल : परिचय, विकास एवं आलोचना

डॉ. जोगेन्दर सिंह, पी जी टी राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जागसी, सोनीपत, हरियाणा

शोध सार

यह लेख ''दल बदल : परिचय, विकास एवं आलोचना'' का विश्लेषण करेगा। इसके अलावा, लेखक इस अधिनियम के महत्व और आलोचना और इसके हालिया विकास को ध्यान में रखते हुए इसके विवादास्पद प्रावधानों की जांच करेगा। यहां, लेखक अधिनियम का एक संक्षिप्त परिचय देगा और फिर भारत के लोकतंत्र पर इसके प्रभावों पर आगे बढ़ेगा। इस अधिनियम पर चर्चा करते समय, लेखक हाल के रुझानों और देश के शासन पर इसके प्रभाव और लोकतंत्र के कामकाज पर इसके प्रभाव का भी विश्लेषण करेगा। साथ ही, लेखक दलगत राजनीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति के बीच संघर्ष पर भी प्रकाश डालेंगे। लेखक भ्रष्टाचार और दल–बदल के बीच संबंधों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, और कैसे दल–बदल मतदाताओं को धोखा देता है। इस अधिनियम द्वारा नामित पीठासीन अधिकारी द्वारा दलबदल से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने में देरी और इस संबंध में न्यायिक अदालतों की शक्ति पर भी माननीय अपीलीय अदालत द्वारा निर्धारित प्रासंगिक उदाहरणों का सहारा लेते समय ध्यान दिया जाएगा। प्रासंगिक रूप से, लेखक देश में कानून के लागू होने के मुद्दे पर बात करेंगे और यह राजनीतिक दलबदल को रोकने में किस हद तक सफल रहा है। लेखक वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा करेंगे और पार्टी नेतृत्व की असंगत शक्ति को संबोधित करने का भी प्रयास करेंगे। अंत में, लेखक अपने सुझाव और राय देते हुए दल–बदल और कानून के प्रमुख मुद्दों का पुनर्कथन करते हुए लेख का समापन करेगा।

संकेत शब्द – दल–बदल, दल–बदल विरोधी कानून, दसवीं अनुसूची, असहमति का अधिकार, जवाबदेही, खरीद–फरोख्त।

दल–बदल का अर्थ

SHODHBODHALAYA(शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 1, Issue 3, April-June 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

दल–बदल का साधारण अर्थ एक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होना है। संविधान के अनुसार भारत में निम्नलिखित स्थितियाँ सम्मिलित हैं जिसमें–

- किसी विधायक या सांसद का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना।
- मौलिक सिद्धांतों के आधार पर विधायक या सांसद का अपनी पार्टी की नीति के विरुद्ध योगदान करना।
- किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक या सांसद का निर्दलीय रहना।
- परन्तु पार्टी से निष्कासित किए जाने पर यह नियम लागू नहीं होगा।

सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी व्हिप की अवहेलना करते हैं। इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है और उन पर दल बदल निरोधक कानून भी लागू किया जा सकता है।

पर यदि किसी पार्टी के एक साथ दो तिहाई सांसद या विधायक (पहले ये संख्या एक तिहाई थी) पार्टी छोड़ते हैं तो उन पर ये कानून लागू नहीं होगा पर उन्हें अपना स्वतन्त्र दल बनाने की अनुमति नहीं है वो किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं।

दल बदल के लिए एक प्रसिद्ध जुमला प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार है 'आया राम गया राम'। भारतीय इतिहास में यह जुमला हेय की दृष्टि से देखा जाता है इस स्लोगन का प्रतिपादन चौथे आम चुनावों के बाद हुआ था वर्तमान में भारतीय राजनीति में बहुत से दलों का निर्माण हो चुका है जो एक चिंता का विषय है अगर सभी लोग राजनीति में अपनी भागीदारी दिखाने लगेंगे तो जनता का विकास संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि राजनीति में शिक्षित लोगों का होना आवश्यक है। दल छोड़कर गए सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष के पास होता है।

अपवाद–

SHODHBODHALAYA(शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 1, Issue 3, April-June 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

1) दल बदल कानून लोकसभा या विधान सभा अध्यक्ष पर लागू नहीं होता अर्थात यदि लोकसभा या विधान सभा का कोई सदस्य अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अपने दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दे या फिर दल के व्हिप के विरुद्ध जाकर मतदान कर दे तो उस पर ये कानून लागू नहीं होता।

2) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान के दौरान दल के व्हिप का उल्लंघन करने पर भी सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होता।

दल बदल कानून के तहत सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित व्यक्ति तब तक मंत्री बनने के लिए अयोग्य रहता है जब तब वह दुबारा चुन कर सदन का सदस्य न बन जाए।

भारतीय राजनीति व्यवस्था में दल बदल का विकास

भारत की स्वाधीनता की प्राप्ति के प्रथम आम चुनाव के बाद से ही कुछ राजनीतिक दलो के सदस्यों के स्वार्थ तथा पद लिप्सा के लिए अपना दल बदलते रहे है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में जब जब नैतिक मूल्यों तथा राजनीतिक मर्यादायों का अवमूल्यन हुआ है तब तब दल बदल की क्रिया पर अंकुश की आवाज मुखर हुई है।

भारत में दल बदल की घटनाए कोई ऐसी नयी बात नही है जो चतुर्थ आम चुनावों के बाद ही सामने आयी हो। 1947 के निर्वाचनों के पश्चात संयुक्त प्रान्त में मुख्यमंत्री गोविन्द वल्लभ पंत ने मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों को कांग्रेस में शामिल होने का प्रलोभन दिया और दल बदलुओं में से हाफिज मुहम्मद इब्राहीम को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। सन 1950 में उत्तर प्रदेष के 23 विधायकों ने दल बदल करके 'जन काग्रेस' नाम एक नए दल की स्थापना की। 1958 में विधानसभा के 98 सदस्यों ने मुख्यमंत्री डॉ. सम्पूर्णानन्द में अविष्वास व्यक्त किया। सन् 1960 में केरल में काग्रेस दल को सबसे ज्यादा स्थान मिले और उसने आर.शंकर के नेतृत्व में वहा मंत्रिमंडल बनाया। सितम्बर 1964 में 15 काग्रेंस सदस्यों ने काग्रेस दल से संबध विच्छेद कर लिया और मंत्रिमंडल का पतन हुआ। 1952 में राजस्थान में काग्रेस की सरकार का अस्थायित्व का कारण दल बदल ही रहा है। इसमें कई निर्दलीय सदस्य काग्रेस में शामिल हो गये थे।अशोक मेहता को दल बदल के कारण योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद दिया गया। 1952 में कांग्रेस ने पंजाब में हुई अकाली विधायकों को

SHODHBODHALAYA(शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 1, Issue 3, April-June 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

प्रलोभन देकर और अपने दल में मिलाकर अपना मंत्रिमंडल बनाया। दल बदल के कारण इस मंत्रिमंडल का पतन हो गया। और अकाली नेता ज्ञानसिंह राडेवला ने दल बदलुओं की सहायता से मंत्रिमंडल बनाया। विधानसभा की बैठक बुलाये जाने की पूर्व संध्या को विरोधी दल के सदस्यों को प्रलोभन देकर अपनी ओर तोड कर मंत्रिमंडल का निर्माण किया।चतुर्थ सामान्य निर्वाचनों के बाद 1967 में देष में एक साल में ही 438 विधायकों ने अपने दल बदल डाले। इन दल बदल करने वाले विधायको में 115को मंत्री पद देकर पुरस्कृत किया गया। इनमें से 7 मुख्यमंत्री और एक विधानसभाअध्यक्ष भी बनाये गये। बाद में तो यह सिलसिला और भी बढता चला गया। 1967 से 1970 तक 4 साल की अवधि में दल बदल करने वाले सदस्यों की यह संख्या बढकर 1400 तक पहुॅच गयी। लोकसभा के मध्यवर्तीनिर्वाचनों के बाद दल बदलने का रिकार्ड ही टूट गया। पिछले 4 महीनों में 168 विधायकों ने विभिन्न राज्यों में अपने दल बदले है।

दल बदल की इतनी व्यापक और प्रभावी घटनाएॅ संभवतः पहले कभी नही हुई थी दल बदल की राजनीति के प्रमुख अखाडे हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब बिहार, प.बंगाल प्रमुख रहे है। इन चुनावों में करीब 3500 सदस्यों में से 550 सदस्यों ने अपने राजनैतिक आस्थाओं में परिवर्तन किया। तभी से यह क्रम निरन्तर जारी रहा है। आज भी दल बदल की घटनाए कम नही हुई है। कभी कभी तो एक दिन में दो या अधिक बार दल बदल किया। आयाराम व गयाराम की उपलब्धियॉ भी प्राप्त हुई। दल बदल की यह बुराई वर्षोंसे हमें खोखला किये जा रही है। अनुमान के अनुसार 500 से अधिक दल बदलुओं को सत्ता की प्राप्ति हुई है। तथा करीब 30 से अधिक दल बदलुओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी का सुख भी प्राप्त हुआ है। यही नही दल बदल कर एकाधिक व्यक्तियों को प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी मिला है। चतुर्थ आम चुनाव के बाद केवल दो वर्षोंमें 438 सदस्यों ने दल बदल किया। जिन सदस्यों ने दल बदल किया था उनको राज्य मंत्रीमंडलों में मंत्री पद से सुषोभित किया गया। राजस्थान में 14 प्रतिषत, उत्तरप्रदेष में 62 प्रतिषत, हरियाणा में 95 प्रतिशत, पंजाब, बिहार, प.बंगाल में 100 प्रतिषत में मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया। भारतीय कम्यूनिस्ट

SHODHBODHALAYA(शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 1, Issue 3, April-June 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

पार्टी को छोडकर अन्य सभी दलों ने अन्य सभी दलों ने दल बदल को खुले प्रोत्साहन दिया गया।सैद्धान्तिक रूप से सभी राजनैतिक पार्टिया दल बदल की विरोधी रही है।

केन्द्र स्तर पर बडे पैमाने पर दल बदल की घटनाए नही हुई है। इसके साथ ही यह आशा की जाती थी कि जब तक केन्द्र में स्थिर सरकार है तब तक देश में राजनैतिक स्थिरता बनी रहेगी। सन 1967 में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से घूमा और भारतीय राजनीति में एक नया रूप दिखाई दिया। इस समय अनेक सदस्यों ने दल बदल किया। सबसे बडे दल काग्रेस में दल बदल की घटना सबसे ज्यादा रही।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के आर्चाय नरेन्द्र देव ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात अपना दल छोडकर मंत्रिमंडल सदस्यता से त्याग पत्र देने का निर्णय किया तथा दुबारा चुनाव लडे। दल बदल या दल त्याग के महत्वपूर्ण दृष्टांतों में सी.डी.देषमुख का नाम प्रमुख है। इन्होनें भाषायी राज्यों के गठन के पक्ष पर त्यागपत्र दिया।अप्रेल सन 1977 में जनता पार्टी के महासचिव श्री सुरेन्द्र मोहन की घोषणा कि उनके दल के दरवाजे अन्य विधायकों व सांसदों के लिए खुले हुए है। हम उनका दल में स्वागत करते है। सन 1971 में जनता पार्टी में अनेक दल बदल हुए। इस पर श्री मोरारजी देसाई को विवष होकर त्याग पत्र देना पडा।

सातवी लोकसभा के निर्वाचन के बाद लोकदल और जनता पार्टी के एक एक सदस्य काग्रेस में आने लगे। अनेक राज्यों से भी सदस्य काग्रेस में मिलने लगे। कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेष की पूरी की पूरी सरकारे ही काग्रेस में सम्मिलित हुई।कर्नाटक में मोयली टेप कांड से स्पष्ट हो गया कि हेगडे सरकारको गिराने के लिए काग्रेस के द्वारा दल बदल का सुनियोजित षडयन्त्र रचा गया था। चौथे आम चुनाव से पूर्व 25 वर्षों में 542 सदस्यों ने दल बदल किया, वही चौथे आम चुनाव के बाद वे केवल 2 वर्षोंमें 438 सदस्यों ने दलबदल किया। हरियाणा में कई विधायक ऐसे थे जिन्होने अनेक बार दल बदल किया। हरियाणा के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि मंत्रिमंडल में रिश्वतखोरी राजनैतिक बदला लेने की भावना, भ्रष्टाचार और पदो के वितरण की आम शिकायते थी। इसके साथ ही विरोधी पक्ष का रिकार्ड भी अच्छा नही था। दोनों ओर से ये आरोप लगाये जा रहे थे कि वह पैसा तथा मंत्रिमंडल मंत्री पद का लालच देकर दल बदल करवा रहे है।

SHODHBODHALAYA(शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 1, Issue 3, April-June 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

राज्यपाल की स्पष्टता रिपोर्ट थी कि दल बदल किन्ही प्रतिष्ठित या समानजनक आधारों के माध्यम से नही किया जा रहा था। इसी प्रकार पश्चिम बंगााल में भी दल बदल के लिए 1 मंत्री पद का लालच व धन का दुरूपयोग किया जा रहा था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पद ग्रहण से कुछ समय पूर्व दल बदल की अधिक घटनाए हुई।मार्च 1971 में पांचवीं लोकसभा के चुनाव में मार्च 1972 में राज्य विधानसभाओं के चुनावों में काग्रेस के विजय ने यह आशा लगायी थी कि दल बदल की बुराई समाप्त कर दी जायेगी और राज्यों में स्थिर सरकार बनेगी। किन्तु ऐसा नही हुआ। फरवरी सन 1973 के तीसरे सप्ताह में 15 विधायक दल बदल कर काग्रेस में शामिल हो गये। 9 जुलाई 1974 को मणिपुर के छोटे से राज्य में दल बदल के परिणामस्वरूप मंत्रिमंडल का पतन हो गया। मार्च 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा के कतिपय काग्रेस सदस्य जनता पार्टी में शामिल हो गये और जुलाई 1979 में जनता पार्टी में भी भारी दल बदल हुआ और मोरारजी देसाई को विवश होकर त्याग पत्र देना पडा। सातवीं लोकसभा के निर्वाचनों के बाद जनता पार्टी और लोकदल के विधायक एक के बाद एक काग्रेस में शामिल होने लगे। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और कर्नाटक में भारी दल बदल के कारण जनता पार्टी और काग्रेस सरकार अपना लेबल बदल कर काग्रेस (आई) सरकारें बन गयी। दल बदल के कारण ही केरल की करूणाकरण सरकार का मार्च 1982 में पतन हुआ। मई 1982 के चुनाव के बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के गठन में दल बदल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कर्नाटक में दल बदल के कारण जनता पार्टी की संख्या बल बढता गया, किन्तु दूसरी तरफ कर्नाटक हेगडे सरकार को गिराने के लिए इन्दिरा काग्रेस ने क्या और कैसे प्रपंच रचे। तथा विधायको की खरीद का व्यापार किया। इसका भांडाफोड कर्नाटक विधानसभा में जनता पार्टी के सहयोगी सदस्य सी.बी.गोडा ने किया। देश भर में भारी संख्या में कांग्रेसियों के द्वारा पार्टी छोडकर दल बदल किया गया। काग्रंसियों के दल बदल के साथ ही विपक्षी दलों से लोग अपने दल छोडकर काग्रेस में शामिल हुए क्योकि दल बदल के संबध में कोई निश्चित नियम अथवा व्यवस्था नही थी। 1967 के चुनाव के पश्चात् एक सामान्य प्रक्रिया बन गयी थी। दल के अधिकृत प्रत्याशियों को भारी निराशा हुई और उसके समथर्कों द्वारा अधिकृत प्रत्याशियों के विरूद्ध कार्य किया। राज्य में विधायकों

SHODHBODHALAYA(शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 1, Issue 3, April-June 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

द्वारा दल बदल के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के तख्ते पलटे। कांग्रेस से दल बदल वालों ने नये मंत्री मंण्डलों में अधिकांश मंत्री पद प्राप्त किये। दल बदलने वाले नेताओं ने हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, प.बंगाल एंव मणिपुर में मुख्यमंत्री पद संभाले।

नवम्बर 1990 में केन्द्र में भी श्री वी.पी.सिंह के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार का अपहरण कर स्वयं प्रधानमंत्री पद हथियाने के लिए उन्ही की पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद चन्द्रशेखर ने भी अपने समर्थक सांसदों के साथ, अपनी पार्टी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाकर विपक्षी काग्रेंस पार्टी को समर्थन से अपनी सरकार बनायी थी। किन्तु विपक्षी पार्टी की बैसाखी पर निर्भर इनकी सरकार महज 7 माह में ही काग्रेंस द्वारा समर्थन वापस ले लेने के बाद सत्ता से हाथ धो बैठी और लोकसभा के मध्यावधि चुनाव कराने पडे।

दल बदल कानून निर्माण के पश्चात भी राज्यों नागालैण्ड (1988) मिजोरम (1988) कर्नाटक (189) गोवा (1990) मेघालय (1991) मणिपुर (1992) नागालेण्ड (1992) और मणिपुर (2001) में दल बदल होता रहा है। परन्तु केन्द्र में भी नवम्बर 1990 में केन्द्र में वी.पी.सिंह सरकार के पतन के पश्चात जिस तरह चन्दशेखर के नेतृत्व में हुए सांसदों के एक गुट ने दल बदल करते हुए समाजवादी जनता पार्टी के रूप में विपक्षी काग्रेस के समर्थन से केन्द्र में दल बदल के जरिये नई सरकार बनाईद्व, वह निश्चय ही भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की एक अपूर्व एंव निराली घटना थी। दसवीं लोकसभा चुनाव और ग्यारहवी लोकसभा चुनाव के बाद भी दल बदल की स्थितियॉ वही रही। बारहवी लोकसभा चुनाव के बाद संसद में दल बदल की स्थिति तो लगभग नही बनी, लेकिन अन्नाद्रमुक ने वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेकर उसे गिरा दिया। वर्तमान में यह अब गठबन्धन की राजनीति से जुड गया है। चुनाव के बाद गठबन्धन बदल लेने की स्थिति भी वस्तुतः दल बदल ही है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, भारत में दलबदल को नियंत्रित करने वाला कानून अभी तक हर दूसरे राज्य में हाल ही में हुए सामूहिक दलबदल को देखते हुए स्थिर सरकार के साथ एक जीवंत लोकतंत्र बनाने के अपने अंतिम लक्ष्य को साकार नहीं कर पाया है। हालाँकि, देश के विकास

SHODHBODHALAYA(शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 1, Issue 3, April-June 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

के लिए सत्ता में एक स्थिर सरकार बनाए रखने के लिए इस मुद्दे से निपटने की आवश्यकता है, फिर भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ–साथ किसी भी निर्णय पर पार्टी के प्रत्येक सदस्य की राय को खारिज नहीं किया जा सकता है और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। उपरोक्त कारणों से स्पीकर के निर्णयों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है और सरकार को किसी प्रकार का न्यायाधिकरण लाना चाहिए जिसके निर्णय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सके। समय–सीमा वर्तमान कानून की सबसे बड़ी चिंता है और इससे निपटने की जरूरत है ताकि अयोग्यता से संबंधित मामलों पर जल्द से जल्द फैसला किया जा सके। अयोग्यता के प्रावधानों से बचने के लिए हाल ही में हुए सामूहिक दलबदल को ध्यान में रखते हुए, ईसीआई द्वारा इस तरह के विलय और विभाजन के पीछे उचित जांच की जानी चाहिए। 'स्वैच्छिक सदस्यता छोड़ने' के लिए एक स्पष्ट परिभाषा तैयार करने की आवश्यकता है। यद्यपि दल–बदल लोकतंत्र में असहमति का प्रतीक है, लेकिन साथ ही पैसे और सत्ता के लालच में किया गया ऐसा दल–बदल जो लोकतंत्र के सिद्धांत को पराजित करता है, अच्छा संकेत नहीं है। जैसा कि स्पष्ट है, संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों में इस तरह के बड़े पैमाने पर बदलाव करने के लिए राजनीतिक दलों की इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना भी जरूरी हो जाता है ताकि सरकार को राष्ट्र के विकास और कल्याण की दिशा में काम करने के लिए एक स्थिर कार्यकाल मिल सके।

संदर्भ

1.डॉ.सुभाष कश्यपः दल–बदल व राज्यों की राजनीति, पृष्ठ 15
2.डॉ.सुभाष कश्यपः उपर्युक्त पृष्ठ 16
3.भालचंद गोस्वामीः दल–बदल कानून, 1985, दशा और दिशा, 1985
4.भालचंद गोस्वामीः उपर्युक्त पृष्ठ 10
5.डॉ.पुखराज जैन एवं फडियाः भारतीय शासन एवं राजनीति, पृष्ठ 684
6.डॉ.पुखराज जैन एवं फडियाः उपर्युक्त, पृष्ठ 178
7.डॉ.सुभाष कश्यपः पूर्वोक्त पृष्ठ 18

SHODHBODHALAYA(शोधबोधालय)
AN INTERNATIONAL, PEER REVIEWED, REFEREED, OPEN ACCESS JOURNAL
Impact Factor : 5.6, ISSN : 2584-1807
Vol. 1, Issue 3, April-June 2024
Online Available : http://shodhbodh.com/

8.प्रकाशवीर शास्त्रीः भारतीय राजनीति और राजनीतिक दल, समस्या एवं सम्भावनाएँ, पृष्ठ 107

9.गांधीजी रायः भारतीय शासन प्रणाली भारतीय भवन, पटना, पृष्ठ 396

10.प्रकाशवीर शास्त्रीः पूर्वोक्त, 109–110

11.डॉ.सुभाष कश्यपः पूर्वोक्त, 30

12.डॉ.सुभाष कश्यपः पूर्वोक्त, 21, 22

13.भालचंद गोस्वामीः पूर्वोक्त, 17, 18

14.प्रकाशवीर शास्त्रीः पूर्वोक्त, 105, 106

15.हरिशचंद्र शर्माः भारत में राज्यों की राजनीति, पृष्ठ 296–297

16.रजनी कोठारीः भारत में राजनीति पृष्ठ 13017.गांधीजी रायः पूर्वोक्त पृष्ठ 397

18.रजनी कोठारीः पूर्वोक्त 227

19.डॉ. जय नारायण पाण्डेयः भारत का संविधान, पृष्ठ 698–699